



राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक-6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर-302017

दूरभाष: 0141-2715538/2715539 E-mail: modelschoolest@gmail.com

आज़ादीक
अमृत महोत्सव



क्रमांक : रा.स्कूल.शि.प./जय/मॉडल स्कूल/संस्थापन/प्राईमरी प्रवेश नीति/75105-III/ दिनांक :As per Rajkaj दिनांक 2-07-2024

स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों में प्राथमिक कक्षाओं के संचालन एवं प्रवेश हेतु दिशा-निर्देश सत्र 2024-25

मॉडल विद्यालयों में प्राईमरी कक्षाओं (कक्षा-01 से 05 तक) के संचालन, पदों के सृजन एवं गतिविधियों हेतु वित्त विभाग की आई.डी. संख्या-152401048 दिनांक 20.06.2024 द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई है। राज्य में संचालित 134 मॉडल विद्यालयों में प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा 01 से 05 तक) का वर्तमान सत्र 2024-25 से संचालन किया जाना है। मॉडल विद्यालयों में वर्तमान में संचालित कक्षा-06 से 08, कक्षा-09 एवं कक्षा-11 की प्रवेश नीति (संलग्न) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित है।

प्राईमरी कक्षा-01 से 05 के प्रवेश हेतु राज्य सरकार द्वारा पूर्व में (कक्षा-06 से 08) जारी प्रवेश नीति अनुसार ही स्वामी विवेकानन्द मॉडल विद्यालयों में प्राथमिक कक्षाओं के संचालन एवं प्रवेश हेतु दिशा-निर्देश निम्नानुसार है :-

1. प्रवेश समिति - प्रवेश समिति का संगठनात्मक स्वरूप निम्न प्रकार से प्रस्तावित है :-
 - ❖ प्रधानाचार्य, सम्बन्धित मॉडल स्कूल - अध्यक्ष
 - ❖ प्रतिनिधि, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी - सदस्य
 - ❖ एसएमसी का अध्यक्ष अथवा अभिभावकों में से एक (अध्यक्ष द्वारा नामित)- सदस्य
 - ❖ प्रभारी हैड टीचर - सदस्य सचिव
2. मॉडल विद्यालयों में कक्षा-01 से 05 तक प्रति कक्षा 40 विद्यार्थियों के प्रवेश की अधिकतम सीमा निर्धारित है।
3. मॉडल विद्यालयों में कक्षा-01 में प्रवेश आयु 06 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 07 वर्ष से कम (उक्त आयु की गणना 31 जुलाई, 2024 को आधार मानकर की जायेगी)। कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक-शिविरा/प्रारं/आरटीई/सी/18878/आरटीई/दिशा-निर्देश/2023-24 दिनांक 01.04.2024 (संलग्न)।
4. वर्तमान सत्र 2024-25 में मॉडल विद्यालयों के समस्त प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा-01 से 05 तक) में शत-प्रतिशत सीटों पर नवीन प्रवेश दिये जायेंगे। तथा आगामी सत्र से कक्षा-01 में शत-प्रतिशत नवीन प्रवेश होंगे एवं कक्षा-02 से 05 में पूर्व में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अतिरिक्त शेष रिक्त सीटों पर भी निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार ही प्रवेश दिया जावे।

प्रवेश प्रक्रिया

- राज्य में संचालित स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों के सत्र 2024-25 में कक्षा 01 से 05 में रिक्त सीटों (प्रति कक्षा-40 विद्यार्थी) के विरुद्ध प्रवेश हेतु राजस्थान सरकार द्वारा जारी संदर्भित प्रवेश नीति अनुसार प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जानी है। इस हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् के स्तर से निम्नानुसार कलैण्डर निर्धारित किया जाता है :-

1 RajKaj Ref
8576407



Signature valid

Digitally signed by Avinash
Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.07.02 18:21:14 IST
Reason: Approved

कक्षा-01 से 05 के विद्यार्थियों हेतु प्रवेश प्रक्रिया कैलेंडर

क्र.सं.	प्रवेश प्रक्रिया संबंधी कार्य	तिथियाँ
1	समाचार पत्रों/इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से विज्ञप्ति जारी किया जाना एवं प्रवेश हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार।	05.07.2024 तक
2	प्रवेश हेतु आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया पूर्ण करना	05.07.2024 से 12.07.2024
3	आवेदकों की सूची का निर्धारण	15.07.2024
4	निर्धारित सीटों से अधिक आवेदन होने पर लॉटरी निकाली जावेगी।	16.07.2024
5	लॉटरी में चयनित आवेदकों से प्रवेश फार्म भरवाया जाना	19.07.2024
6	कक्षा 01-05 का संचालन प्रारम्भ किया जाना	22.07.2024

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

(अविचल चतुर्वेदी)
राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री शिक्षा (विद्यालय/संस्कृत) विभाग एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सहायक, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
5. निजी सहायक, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
6. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम/द्वितीय, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
9. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त सम्बन्धित जिले।
10. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त सम्बन्धित जिले।
11. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित ब्लॉक।
12. संस्था प्रधान, स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय, सम्बन्धित ब्लॉक।
13. रक्षित पत्रावली।

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

2 RajKaj Ref
8576407

Signature valid

Digitally signed by Avinash
Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.07.02 18:21:14 IST
Reason: Approved

DD-117
24/11/15

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 4(15) शिक्षा-1/मॉडल स्कूल/2008 पार्ट

जयपुर, दिनांक 23-2-15

आयुक्त,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर, राजस्थान।

विषय :- स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में सत्र 2015-16 में प्रवेश हेतु नीति का निर्धारण कर दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाने बाबत।

संदर्भ :- राज्य सरकार का पूर्व पत्रांक क्रमांक : प. 4(15) शिक्षा-1/मॉडल स्कूल/2008 पार्ट जयपुर दिनांक 24.06.2013 एवं दिनांक 21.08.2013।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्रों के क्रम में केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत संचालित स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों के संचालन हेतु प्रसारित दिशा-निर्देशों में संशोधन करते हुए सत्र 2015-16 से कक्षा 6 से 9 के लिए निम्नानुसार प्रवेश नीति निर्धारित की जाती है :-

(A) कक्षा 6 से 8 तक प्रवेश नीति

1. कक्षा 6 से 8 तक राज्य सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार ही प्रवेश प्रक्रिया रखी जानी है जो निम्नानुसार है:-
 - i. प्रथम वरीयता-संबंधित ब्लॉक से विधवा, परित्यक्ता एवं एच.आई.वी. एड्स पीड़ित अभिभावकों के बालक-बालिकाएं।
 - ii. द्वितीय वरीयता-विकलांग बालक-बालिकाएं चाहे वो किसी भी श्रेणी के हों।
 - iii. तृतीय वरीयता-बी.पी.एल. परिवार (केन्द्र व राज्य सूची) के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक वर्ग के बालक-बालिकाएं।
 - iv. चतुर्थ वरीयता-बी.पी.एल. परिवार के सामान्य वर्ग के बालक-बालिकाएं।
 - v. पंचम वरीयता-नॉन बी.पी.एल. परिवार के बालक-बालिकाएं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक वर्ग के हों।
 - vi. छठी वरीयता-नॉन बी.पी.एल. सामान्य वर्ग के बालक-बालिकाएं।
2. कुल प्रवेश योग्य सीटों पर बालिकाओं के लिए सत्र 2014-15 में निर्धारित न्यूनतम 50 प्रतिशत के स्थान पर न्यूनतम 55 प्रतिशत का प्रावधान छात्राओं हेतु रखा जावे।
3. मॉडल स्कूलों में प्रवेश हेतु उसी ब्लॉक में निवास करने वाले छात्र/छात्रा को ही प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे। सीट रिक्त होने की स्थिति में अन्य ब्लॉक के छात्र/छात्रा को प्रवेश दिया जा सकेगा।
4. कक्षा 6 में शत प्रतिशत प्रवेश नवीन होंगे। कक्षा 7 एवं 8 में पूर्व से अध्ययनरत विद्यार्थियों के अतिरिक्त शेष रिक्त सीटों पर भी निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार ही प्रवेश दिया जावे।
5. प्रवेश समिति द्वारा सुनिश्चित किया जावे कि कक्षा 6 से 8 तक प्रत्येक कक्षा में शत प्रतिशत नामांकन हो।

75
पत्र संख्या
6130

6. वरीयता एवं वरीयता में उल्लेखित क्रम से ही रिक्तियों की पूर्ति की जावेगी, फिर भी अंत में आवश्यकता हुई तो लॉटरी के माध्यम से चयन किया जायेगा।

7. प्रवेश समिति का संयोजन संकेत स्वरूप राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 हेतु जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही रहना जो निम्नानुसार है:-

- i. मॉडल स्कूल के निकटस्थ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का प्रधानाचार्य-अध्यक्ष
 - ii. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी-सदस्य
 - iii. स्थानीय ब्लॉक से एक जन प्रतिनिधि (अध्यक्ष द्वारा नामित)-सदस्य
 - iv. मॉडल स्कूल का प्रधानाचार्य-सदस्य सचिव
8. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ओबीसी (नॉन क्रिमीलियर)/बीपीएल/विकलांग इत्यादि के संबंध में जारी प्रमाण-पत्र संबंधित राज्य सरकार/संघ सरकार के संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। यदि बच्चे का यह प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रवेश के प्रयोजन हेतु माता अथवा पिता के प्रमाण-पत्र को आरम्भ में स्वीकार कर लिया जाए किन्तु संबंधित प्रमाण-पत्र प्रवेश के 3 माह के भीतर जमा करना होगा।
9. कक्षा 6 से 8 में प्रवेश हेतु शेष समस्त शर्तें राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.4 (15)/शिक्षा-1/मॉडल स्कूल/2008 पार्ट जयपुर दिनांक 24.06.2013 एवं 21.08.2013 के अनुसार ही प्रभावी होंगी।

(B) कक्षा 9 में प्रवेश हेतु नीति

स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में सत्र 2015-16 से कक्षा 9 के लिए प्रवेश नीति निम्नानुसार होगी :-

1. प्रति मॉडल स्कूल 9वीं कक्षा में 2 सेक्शन के अनुसार अधिकतम प्रवेश योग्य विद्यार्थियों की संख्या 80 होगी।
2. स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में अध्ययनरत आठवीं कक्षा के विद्यार्थी 8वीं परीक्षा में ग्रेड बी अथवा 45 प्रतिशत एवं उससे अधिक स्तर प्राप्त करने पर कक्षा 9 में प्रवेश हेतु पात्र होंगे।
3. ग्रेड बी अथवा 45 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले मॉडल स्कूल के विद्यार्थियों को आरटीई के तहत उच्च प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने का प्रमाण पत्र दिया जाकर उनका अन्य राजकीय विद्यालयों में प्रवेश करवाया जायेगा।
4. उक्तानुसार सीटें भरने के उपरान्त कक्षा 9 में शेष रही सीटों पर प्रवेश हेतु ब्लॉक स्तर पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र के आधार पर प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जावेगा।
5. प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 प्रतिशत होगा।
6. प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले शिक्षार्थी 9वीं कक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे।
7. प्रवेश परीक्षा के अंक जारी होने के उपरान्त किसी प्रकार की पुनः जांच का प्रावधान नहीं होगा।
8. प्रवेश परीक्षा में चयन के उपरान्त भी विद्यार्थी तब तक प्रवेश का पात्र नहीं होगा जब वह आवश्यक दस्तावेज समिति को उपलब्ध करवाएगा एवं समिति उक्त दस्तावेजों से पूर्णतः संतुष्ट होगी।

9. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में जिला स्तरीय समिति का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।

10. प्रवेश में आरक्षण के प्रावधान निम्नानुसार होंगे:-

- i. राज्य के टी.एस.पी. क्षेत्रों एवं बांसा जिले के अतिरिक्त अन्य ब्लॉक्स में प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिये जाने वाली प्रवेश योग्य सीटों में से अनुसूचित जाति हेतु -16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति हेतु -12 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग हेतु -21 प्रतिशत एवं विशेष पिछड़ा वर्ग हेतु- 1 प्रतिशत, आरक्षित होगी एवं शेष 50 प्रतिशत सीटें अनारक्षित वर्ग से भरी जावेगी।
- ii. टी.एस.पी. एरिया के संबंधित ब्लॉक्स में आरक्षण राज्य सरकार के मापदंडानुसार अनुसूचित जनजाति हेतु -45 प्रतिशत, अनुसूचित जाति हेतु -5 प्रतिशत होगा एवं शेष 50 प्रतिशत सीटें अनारक्षित वर्ग से भरी जावेगी।
- iii. बारां जिले के समस्त ब्लॉक्स में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भरी जाने वाली सीटों हेतु अनुसूचित जाति हेतु 8 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति हेतु 6 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग हेतु 10 प्रतिशत, विशेष पिछड़ा वर्ग हेतु 1 प्रतिशत, सहरिया वर्ग हेतु 25 प्रतिशत आरक्षित होगी, एवं शेष, 50 प्रतिशत सीटें अनारक्षित वर्गों से भरी जायेगी।
- iv. प्रत्येक वर्ग में न्यूनतम 55 प्रतिशत सीटें छात्राओं हेतु एवं 3 प्रतिशत सीटें निःशक्तजन के लिए आरक्षित होंगी।
- v. प्रवेश हेतु यदि किसी वर्ग में 55 प्रतिशत छात्राएं उपलब्ध नहीं होती हैं तो शेष सीटें उसी वर्ग के छात्रों से भरी जावेगी। इसी प्रकार 3 प्रतिशत निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होने पर शेष सीटें उसी वर्ग के छात्र-छात्राओं से भरी जावेगी।
- vi. किसी वर्ग हेतु निर्धारित सीटों के लिए उस वर्ग के विद्यार्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शेष सीटें अनारक्षित वर्ग से भरी जावेगी।

11. प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया :-

- i. प्रवेश परीक्षा में संबंधित ब्लॉक के राजकीय/निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के 8वीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थी भाग ले सकेंगे।
- ii. प्रवेश परीक्षा का आयोजन संबंधित जिले के स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल में किया जायेगा।
- iii. प्रवेश परीक्षा हेतु पेपर का निर्माण एवं प्रवेश परीक्षा के क्रियान्वयन की समस्त जिम्मेदारी जिला स्तर पर गठित समिति की होगी। समिति निम्नानुसार होगी :-
 - जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा एवं जिला परियोजना समन्वयक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान- अध्यक्ष।
 - प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान- सदस्य।
 - अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान-सदस्य
 - संस्था प्रधान-1 स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल (जिले के संचालित मॉडल स्कूल से)- सदस्य
 - कार्यक्रम अधिकारी, सदस्य सचिव होंगे।
- iv. प्रश्न पत्रों में गणित, सामान्य विज्ञान, हिंदी एवं अंग्रेजी विषय पर वस्तुपरक प्रश्न पूछे जावेंगे। प्रश्न पत्र 8वीं कक्षा के स्तर का होगा। प्रश्न पत्र कुल 100 अंकों का होगा एवं प्रत्येक विषय को बराबर अंकभार प्रदान किया जावेगा। उक्त प्रश्नपत्र में हिन्दी विषय के अलावा अन्य विषयों के प्रश्न अंग्रेजी भाषा में मुद्रित होंगे।
- v. प्रवेश परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी।

150

262

- vi. जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया 01 अप्रैल तक पूर्ण की जावेगी एवं इस परीक्षा के आधार पर वर्गवार बनाई गई मैरिट लिस्ट में से उपलब्ध रिक्तियों पर 30 जून तक प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी।
- vii. जिला स्तरीय समिति द्वारा ही ब्लॉकवार रिक्तियों की सूचना प्रकाशित की जावेगी एवं समाचार पत्रों, अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावेगा।
- viii. जिला स्तरीय समिति द्वारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से प्रश्न पत्रों को 5 विभिन्न Sequential Order में निर्मित किया जायेगा।
- ix. प्रश्न पत्रों का मुद्रण, प्रकाशन एवं वितरण जिला परियोजना समन्वयक के द्वारा करवाया जावेगा।

प्रवेश हेतु समयबद्ध कलैण्डर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्तर से निर्धारित कर जारी किया जावेगा। अतः तदनुसार स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों के संचालन हेतु वर्ष 2015-16 से प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जावे।

महोदय

23/2/15

शासन उप सचिव, प्रथम

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षामंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
6. अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

23/2/15

शासन उप सचिव, प्रथम